केन्द्रीय विक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम, 2005

(2006 का अधिनियम संख्यांक 3)

[16 जनवरी, 2006]

केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1956 का 74 2. केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 19 में, उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 19 का संशोधन।

''(2क) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ण की उपधारा (2) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ग) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण में उस रूप में पद धारण कर रहा है, उस प्राधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य होने के अतिरिक्त, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।''। 1961 का 43

नई धारा 19क का अंत:स्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 19 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कार्यवाहियों का रिक्तियों, आदि के कारण अविधिमान्य न होना।

''19क. प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही को मात्र इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा या वह अविधिमान्य नहीं होगी कि प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि विद्यमान है।''।

धारा 20 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अपील।

'20. (1) इस अध्याय के उपबंध, धारा 9 के साथ पठित धारा 6क के अधीन किए गए किसी राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण के किसी आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा फाइल की गई अपीलों को लागू होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 21, धारा 22 और धारा 25 के प्रयोजनों के लिए, ''किसी राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण'' से किसी राज्य की साधारण विक्रय-कर विधि के अधीन स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या अधिकरण या न्यायालय (उच्च न्यायालय के सिवाय), चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है।

(2) किसी राज्य की साधारण विक्रय-कर विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील का न्यायनिर्णयन करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील, उस तारीख से, जिसको उस उपधारा में निर्दिष्ट आदेश की किसी व्यथित व्यक्ति पर तामील की जाती है, नब्बे दिन के भीतर फाइल की जा सकेगी:

परंतु प्राधिकरण किसी अपील को नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात्, किंतु ऐसी तामील की तारीख से एक सौ पचास दिन के अपश्चात्, ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से समय पर अपील करने से निवारित हुआ था:

परंतु यह और कि प्राधिकरण केंद्रीय विक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से साठ दिन के भीतर किसी व्यथित व्यक्ति से कोई अपील वहां ग्रहण कर सकेगा जहां ऐसे व्यथित व्यक्ति को उपधारा (1), जैसी वह उक्त अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व विद्यमान थी, के अधीन राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण के उस आदेश के विरुद्ध अपील करने का अधिकार था, किंतु उसने 3 दिसंबर, 2001 से ही आरंभ होने वाली और 16 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान अपील फाइल करने के अधिकार का उपभोग नहीं किया है।

(4) आवेदन चार प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ पांच हजार रुपए की फीस होगी।'।

धारा 21 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(i) उपधारा (2) में, ''निर्धारण प्राधिकारी'' शब्दों के स्थान पर, ''उच्चतम अपील प्राधिकरण'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (5) में, ''अपीलार्थी को और निर्धारण प्राधिकारी को'' शब्दों के स्थान पर, ''अपीलार्थी, निर्धारण प्राधिकारी, प्रत्यर्थी और संबंधित राज्य सरकार के उच्चतम अपील प्राधिकरण को'' शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (1क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 22 का संशोधन।

"(1क) प्राधिकरण, उच्चतम अपील प्राधिकरण के उस आदेश के, जिसके विरुद्ध उसके समक्ष अपील फाइल की गई है, प्रवर्तन को रोक सकेगा या अपील ग्रहण करने से पूर्व कर के पूर्व-निक्षेप का आदेश कर सकेगा और ऐसी रोक मंजूर करते समय या कर के पूर्व-निक्षेप के लिए ऐसा आदेश करते समय, प्राधिकरण, यदि निर्धारिती ने संबंधित राज्य की साधारण विक्रय-कर विधि के अधीन कर का पूर्व-निक्षेप किया है तो ऐसे पूर्व-निक्षेप का ध्यान रखेगा या ऐसा समुचित आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे।"।

7. मूल अधिनियम की धारा 25 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 25 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"25. (1) केन्द्रीय विक्रय-कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रारंभ से ही, धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित प्राधिकरण के समक्ष लंबित सभी अपीलें (राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपीलों से भिन्न) उनके अभिलेखों के साथ, संबंधित राज्य के उच्चतम अपील प्राधिकरण को अंतरित हो जाएगी। लंबित कार्यवाहियों का अंतरण।

(2) राज्य का ऐसा उच्चतम अपील प्राधिकरण, जिसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी अपील अंतरित की गई है, ऐसे अभिलेखों की प्राप्ति पर, उस अपील पर, जहां तक हो सके, उसी रीति में, जिसमें समुचित राज्य की साधारण विक्रय-कर विधि के अनुसार राज्य के ऐसे उच्चतम अपील प्राधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील की दशा में कार्यवाही की जाती है, उस प्रक्रम से, जिस पर वह ऐसे अंतरण से पूर्व पहुंचा था या किसी पूर्वतर प्रक्रम से या नए सिरे से जैसा राज्य का ऐसा उच्चतम अपील प्राधिकरण ठीक समझे कार्यवाही करना आरंभ करेगा:

परंतु जहां उच्चतम अपील प्राधिकरण यह पाता है कि अपीलार्थी ने अपील प्राधिकरण के समक्ष पहली अपील फाइल करने के अवसर का उपभोग नहीं किया है, वहां ऐसा मामला उस प्राधिकरण को भेज दिया जाएगा।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 26 में, "या संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों को लोप किया जाएगा। धारा 26 का संशोधन।

राष्ट्रपति ने दि सेंट्रल सेल्स टैक्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2005 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Central Sales Tax (Amendment) Act, 2005 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause *(a)* of sub-section *(1)* of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।
Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—25OLW(S5)—13.05.2006.